न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री हवाई सिंह यादव, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 2022/4

–: प्रार्थी :–
सरपंच ग्राम पंचायत धोरू पंचायत
समिति भोपालगढ़ जिला जोधपुर

बनाम

–: अप्रार्थी :–
सरकार जरिये तहसीलदार
भोपालगढ

राजस्व प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

दिनॉक:–24/01/2022

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी सरपंच ग्राम पंचायत धोरू पंचायत समिति भोपालगढ़ जिला जोधपुर द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 131 एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि डीआईएलआरएमपी के तहत ग्राम धोरू पटवार हल्का कूडी के खाता संख्या 468 जिसके खसरा नं. 633/3 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म गे.मु. आबादी एवं खसरा नं. 633/6 रकबा 0.3237 हैक्टेयर किस्म गे. मु. आबादी की तरमीम हल्का पटवारी द्वारा गलत दर्ज कर दी गयी है, साथ ही प्रार्थी द्वारा गलत तरमीम व प्रस्तावित सही तरमीम का नजरी नक्शा पेश कर सही स्थिति अनुसार तरमीम शुद्ध करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार भोपालगढ़ से प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में जवाब प्राप्त किया गया। तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र में संलग्न पटवारी पटवार मण्डल कूडी एवं भू अभिलेख निरीक्षक कुड़ी की रिपोर्ट के आधार पर एवं राजस्व रेकर्ड के अनुसार खसरा नक्शा भूमि में तरमीम दुरूस्ती की अनुशंसा की गयी।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मय दस्तावेज तथा तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र मय दस्तावेज का अवलोकन किया। तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा की गयी तरमीम दुरूस्ती की अनुशंसा के आधार पर तरमीम शुद्ध किये जाने का आदेश देना हम उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 131 एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है तथा पटवारी पटवार मण्डल कूडी एवं भू अभिलेख निरीक्षक कुड़ी की रिपोर्ट एवं तहसीलदार भोपालगढ़ की अनुशंसा के आधार पर एवं राजस्व रेकर्ड के अनुसार तहसीलदार भोपालगढ़ को खसरा नक्शा भूमि में तरमीम दुरूस्ती करने के आदेश दिये जाते है। पटवारी पटवार मण्डल कूडी , भू अभिलेख निरीक्षक कुड़ी की रिपोर्ट एवं तहसीलदार भोपालगढ़ का जवाब प्रार्थनापत्र निर्णय का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

24/1/22

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 24/01/2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 12:23:13 IST
Reason: SelfAttested